न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस
उनवान कैलाशचन्द्र बनाम अशोक वगै0
किस्म मुकदमा दावा मुकदमा नं. –256/2025
हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

| तारीख हुक्म | | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|
| 22.12.2025 | पत्रावली पेश हुई। वादी कैलाशचन्द्र की ओर से जरिये अधिवक्ता वादी प्रार्थना पत्र मिसल तलबी पेश हुवा जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने अनापत्ती दर्ज की अतः मिसल नियत पेशी से तलब की गई। तहसीलदार रींगस से विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2025/4343 दिनांक 22.12.2025 प्राप्त हुई। विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट को शामिल मिसल किया गया। वकील वादी ने प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त हुए विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट के अनुसार ही अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने अनापत्ती जाहिर की अतः तहसीलदार रींगस द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव भू.अ./2025/4343 दिनांक 22.12.2025 के मुताबिक ही वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर निम्न रूपेण डिक्री किया जाता है कि:–<br><br>आदेश<br><br>वादी का वाद तहसीलदार रींगस से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू.अ./2025/4343 दिनांक 22.12.2025 के मुताबिक ही अन्तिम डिक्री किया जाता है। उक्त विभाजन प्रस्ताव, निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के ही राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हो। रहन संबंधित खातेदार के हिस्से में आयी भूमि पर दर्ज किया जावे। इसी भांति पर्चा डिक्री कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।<br><br>(बृजेश कुमार)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>रींगस (सीकर) | |

उपखण्ड अधिकारी रींगस (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2025.12.30 16:40:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रींगस (सीकर)